

# उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र

(111)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री/श्रीमती/श्रीमती  
 निवासी श्री. तांडे दिल्ली जिला दिल्ली तहसील दिल्ली ग्राम दिल्ली उपखण्ड दिल्ली जिला दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य की दिल्ली सीमा के  
 भीतरी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के  
 वे आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-1 के अंतर्गत मन््यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्रीमती श्री. तांडे पूर्वोक्त अधिनियम  
 94 (यथा संशोधित) की अनुसूची-2 (जिसमें कि उपखण्ड सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों  
 के आरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आरक्षित नहीं है। इनके माता-पिता की निम्नलिखित तीन  
 वर्षों अवधि के लिये एकल वार्षिक आय पांच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है। इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा  
 लिखित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्री/श्रीमती श्री. तांडे तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के  
 मा/मौखला दिल्ली तहसील दिल्ली नगर दिल्ली में सामान्यतः रहता है।

इस प्रमाण पत्र के वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> पर इसका क्रमांक अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।  
 पत्र संख्या **042113** 0.28/63

पान  
 नाक 28/4/11  
 हर

हस्ताक्षर [Signature]  
 पूरा नाम तहसीलदार  
 पद नाम तहसीलदार  
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी  
 मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार